

229

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-सागर

22-1-9179-Z-16

वर्ष 22-9-16

32  
22-9-16

8

वर्ष 22-9-16

अमान पुत्र भगोने लोधी,  
निवासी बलयालपुरा, तहसील बण्डा,  
जिला सागर (म.प्र.)

— प्रार्थी

विरुद्ध

1. नथुआ उर्फ नत्थू पुत्र भगोने लोधी,
2. मठुवा पुत्र फुल्ला लोधी,
3. हलकाई पुत्र करी लोधी,
4. कलू पुत्र करी लोधी,
5. प्रताप पुत्र करी लोधी,
6. खुमान पुत्र करी लोधी,
7. नन्हीबहु वेवा अधार लोधी,
8. मथुरा पुत्र परम लोधी,
9. ऊदल पुत्र कनई लोधी,
10. चपकनवारी वेवा मनसुख लोधी,
11. राजाराम पुत्र सीताराम तिवारी,
12. आशाराम पुत्र सरजू प्रसाद तिवारी,
13. लल्लू भाई पुत्र हरीराम तिवारी,
14. रामेश्वर पुत्र प्रसाद तिवारी,
15. हल्काई पुत्र प्यारेलाल लोधी,
16. करन पुत्र परमानन्द लोधी,
17. पूरन पुत्र परमानन्द लोधी,
18. जालम पुत्र परमानन्द लोधी,
19. ग्याप्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद उपाध्याय,  
समस्त निवासीगण बलयालपुरा,  
तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)
20. भूपेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन,  
निवासी शाहगढ़ तहसील बण्डा,  
जिला सागर (म.प्र.)
21. पंचू पुत्र थानसिंह लोधी,
22. हल्काई पुत्र थानसिंह लोधी,
23. ऊदल पुत्र किशोरी लोधी,
24. खिलान पुत्र किशोरी लोधी,
25. जगत पुत्र किशोरी लोधी,
26. कलू पुत्र किशोरी लोधी,  
निवासीगण रुरावन, तहसील बण्डा,  
जिला सागर (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।


R  
1/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9179-एक/16

जिला -सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.9.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री के०के० द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टोरेशन के आवेदन पर तर्क सुनें। आवेदक अधिवक्ता के आवेदन में दर्शाया कारण समाधान कारक होने के कारण प्रकरण इस शर्त के साथ रेस्टोर्ड किया जाता है कि वह 500/- कोस्ट के रूप में जमा करें तथा रसीद प्रदाय करें। प्रकरण समाप्त होकर दा० दर्ज हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

